दिनांकः 12.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड भैंस चोरी के मुकदमे के 05 शातिर वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही पर 02 तमंचे/03 जिंदा/01 खोखा 315 बोर, 01 चाकू नाजायज, 01 मोटरसाईकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट (चोरी की), 01 पिकअप (घटना में प्रयुक्त) एंव 03 चोरी की भैंस बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 07.03.2025 को वादी श्री मौ0 वसीम पुत्र इरशाद निवासी चकआदमपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी की भैंस चोरी होने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 64/25 धारा 305ए बीएनएस बनाम फैजान आदि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा चोरी,लूट व नकबजनी की धटनाओं की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार सघन गश्त व कड़ी चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.03.2025 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा कच्चा बाईपास ईघरी कट पर चैकिंग के दौरान एक पिकअप गाडी नं0 यू0पी0 15 एच टी 5589 को रोकने का प्रयास किया तो पिकअप गाडी में सवार व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर हड़बड़ी में गाडी को तेज गति से भगाकर भागने का प्रयास करने लगे।अचानक पिकअप गाडी का टायर सड़क किनारे पड़ी मिट्टी के ढेर में फँस गया। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए पिकअप गाडी को घेर घोटकर गाडी में बैठे बदमाशो को गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे 02 देशी तमन्चे/ 03 जिन्दा/ 01 खोखा करातूस 315 बोर ,01 चाकू, घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप, 03 भैंस चोरी की एंव निंशादेही पर 01 चोरी की मोटरसाइकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट के बरामद हुयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध जनपद सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में पूर्व में कई अभियोग पजींकृत हैं। चोरी की भैंस बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 64/25 में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 67/25 धारा 109/345 बीएनएस व 3/4/25/27 आयुद्ध अधि0 पजीकृत किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम सभी मिलकर एक दूसरे से सम्पर्क कर मोटर साईकिल से गाँवो मे घुमफिर कर ऐसे मकान की तलाश कर लेते है जिन मे चोरी करना आसान हो। हम लोगों ने करीब 15 -16 दिन पूर्व ग्राम रामगढ से तीन भैंस चोरी की थी और इन भैंसो को सहारनपुर में छिपा रखा था। दिनांक 11.03.2025 की रात्रि को हम चोरी की गयी भैंसो को पिकअप गाडी में लादकर बेचने जा रहे थे तो पुलिस ने हमें पकड लिया। सादिक व माजिद ने बताया कि एक मोटर साईकिल हम दोनो नें चार माह पहले गंगनहर रामराज मेरठ क्षेत्र से रात्रि में खेत से चोरी की थी जिसको हमने बडी नहर के पास खण्डहर मे खडी कर रखा है जिसे हमने पुलिस

को बरामद करा दिया है। इसी मोटर साईकिल का प्रयोग हम गाँवो में घुम फिरकर रेंकी करते थे। जिस पर हमने फर्जी नम्बर प्लेट UK-08-P-3941 भी लगा रखी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. माजिद पुत्र फरमूद निवासी ग्राम खिवाई थाना सरुरपुर जिला मेरठ हाल निवासी फुटा रोड नाज कालोनी थाना 62 कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. सादिक पुत्र कल्लु निवासी गुलाबनगर कालोनी थाना सिविल लाईन रुडकी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड
3. फैजान पुत्र इश्ताक निवासी ग्राम खिवाई थाना सरुरपुर जिला मेरठ
4. मेहरबान पुत्र वहीद निवासी गाधारोना थाना मंगलोर जिला हरिद्वार
5. अनीस पुत्र जामू निवासी जौला थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर

बरामदगी विवरण –

- 03 भैस चोरी की
- 02 तमंचे 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर(नाल में फसा हुआ)
- 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 चाकू नाजायज
- 01 मोटर साईकिल डिस्कवर मय फर्जी नम्बर प्लेट(चोरी की)
- 01 पिकअप गाडी (घटना में प्रयुक्त)

अभियुक्त माजिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 57/2023 धारा 342/397/412 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर
2.मु0अ0सं0 06/2019 धारा 25/27 आयुद्ध अधि0 थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर
3. मु0अ0सं0 44/2019 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर
4.मु0अ0सं0 267/2018 धारा 395/412 भादवि थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर
5.मु0अ0सं0 270/2018 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर
6.मु0अ0सं0 256/2023 धारा 3/4/25/27 आयुद्ध अधि0 व 307/395/412 भादवि थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर
7.मु0अ0सं0 496/18 धारा 395/397/412 भादवि थाना मुंडाली जनपद मेरठ
8.मु0अ0सं0 398/2018 धारा 307 भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ
9.मु0अ0सं0 459/2018 धारा 307 भादवि थाना सरुपुर जनपद मेरठ
10.मु0अ0सं0 460/2018 धारा 25/27 आयुद्व अधि0 थाना सरूरपुर जनपद मेरठ

अभियुक्त सादिक उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 200/2022 धारा 379 भादवि थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर
2.मु0अ0सं0 202/2022 धारा 380 भादवि थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर
3.मु0अ0सं0 268/2022 धारा 379/11/414 भादवि थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर
4.मु0अ0सं0 280/2022 धारा 379/414 भादवि थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर

5.मु0अ0सं0 286/22 धारा 3/25/27 आयुद्ध अधि0 307/414 भादवि थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर
6.मु0अ0सं0 178/2022 धारा 379 भादवि थाना सिखैडा जनपद मुजफ्फरनगर

अभियुक्त मेहरबान उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 200/2022 धारा 379 भादवि थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर
2.मु0अ0सं0 202/2022 धारा 380 भादवि थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर
3.मु0अ0सं0 20/2017 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर
4.मु0अ0सं0 268/2022 धारा 379/11/414 भादवि थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर
5.मु0अ0सं0 280/2022 धारा 379/414 भादवि थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर
6.मु0अ0सं0 286/22 धारा 3/25/27 आयुद्ध अधि0 307/414 भादवि थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर
7.मु0अ0सं0 178/2022 धारा 379 भादवि थाना सिखैडा जनपद मुजफ्फरनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2.उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4.उ0नि0 श्री रचित यादव थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5.हैड का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. है0का0 639 मुकेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
7.हैड का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
8. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
9.का0 1215 कपिल गौड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
10.का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
11. का0 272 सन्दीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

12-03-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध पटाखा फैक्टरी से भारी मात्रा में बने पटाखे,विस्फोटक पदार्थ ,पटाखे बनाने के उपकरण एंव 01 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट सहित 04 शातिर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियंत्रण, आगामी त्यौहारो के दृष्टिगत अवैध विस्फोटक पदार्थो के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा गस्त के दौरान अवैध पटाखा फैक्ट्री से अवैध पटाखे का निर्माण करने वाले 04 शातिर अभियुक्तगण **1-दिलनवाज पुत्र शौकत निवासी मौहल्ला शाह मुबारिक थाना झिंझाना जिला शामली 2-मुन्शाद पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला तलाही थाना झिंझाना जिला शामली 3-अरशद पुत्र नसीम निवासी फुरकान रोड चांद मस्जिद थाना कैराना जिला शामली 4-दानिश पुत्र सालिम निवासी काशीराम कालोनी 4th फ्लोर ऊन रोड थाना झिंझाना जिला शामली** को ग्राम मेघनमाजरा में रूल्हा पुत्र कलीराम के मकान में स्थित अवैध पटाखा फैक्टरी से गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से **91 कार्टून की पेटी पैक जिनमे 48 पैकेटो में 10-10 माचिसनुमा पैकेट, विस्फोटक पदार्थ, पटाखे बनाने का काला मसाला, खुले तैयार पटाखे व पटाखे पैंकिग का सामन** बरामद किया गया । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 81/25 धारा 125/223/288/61 बीएनएस व धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 बनाम दिलवाज आदि 07 अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम सभी लोग बिना लाईसेन्स के पटाखा बनाने का काम करते है और पटाखे बनाने का सामान हमे राशिद उर्फ बाबू (पूर्व प्रधान) तथा फरमान उर्फ काला उपलब्ध कराते हैं। बिना लाइसेंस के पटाखा बनाने के लिये किराये का मकान भी राशिद व फरमान ने हमे करीब 01 महीने पहने इसी गांव के रूल्हा जो वर्तमान में बाहर रहते है से किराये पर लेकर दिया था और बताया था कि रूल्हा हमारा जानकार है उसे हमने इस काम के बारे में बता दिया है। हम जो पटाखे बनाते है उन्हे राशिद उर्फ बाबू व फरमान यहां से ले जाकर बेच देते है और जो मुनाफा होता है उसको हम सभी आपस मे बांट लेते है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पताः-

1. दिलनवाज पुत्र शौकत निवासी मौहल्ला शाह मुबारिक थाना झिंझाना जिला शामली।
2. मुन्शाद पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला तलाही थाना झिंझाना जिला शामली।
3. अरशद पुत्र नसीम निवासी फुरकान रोड चांद मस्जिद थाना कैराना जिला शामली।
4. दानिश पुत्र सालिम निवासी काशीराम कालोनी 4th फ्लोर ऊन रोड थाना झिंझाना जिला शामली।

बरामदगी का विवरण-

- 91 कार्टून की पेटी पैक व 01 कार्टून की पेटी खुली हुई।
- 03 कट्टे पैकिंग का सामान।

- 06 खाली गत्ते।
- 02 टैपिंग मशीन।
- 02 प्लास्टिक टब।
- 02 लोहे की छलनी।
- 2.75 किलोग्राम खुला हुआ तैयार पटाखा।
- 20 किलो मशाला काले रंग का।
- 10 किलो सफेद रंग का विस्फोटक पदार्थ।
- 01 वजन तौलने का इलैक्ट्रानिक कांटा।
- 32 चखरी रॉ मेटिरियल छेदनुमा जिसमे बारूद भरा जाता है।
- 01 मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 ऋषिपाल सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 डैनी थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. हे0का0 579 शेखर चौहान थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. हे0का0 376 सचिन चौहान मान थाना गंगोह जिला सहारनपुर
6. का0 1663 सचिन कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी से शादी करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 23.07.2024 को वादी श्री रोकी पुत्र राजेन्द्र निवासी मौहल्ला हरीनगर लालवाला रोड़ देवबन्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत 1. सतीश सैनी पुत्र प्रीतम सैनी 2.मनीष सैनी पुत्र प्रीतम सैनी 3.सन्दीप सैनी पुत्र प्रीतम सैनी 4.आदित्य पुत्र बुद्धू सिंह 5.बबलू पुत्र कैसोराम निवासीगण मौहल्ला गांधी कालोनी लालवाला रोड देवबन्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के द्वारा वादी की भतीजी महिमा पुत्री जितेन्द्र उम्र करीब 17 वर्ष को ले जाना तथा वादी द्वारा अपनी भतीजे के बारे में पूछने पर जाति सूचक अपशब्द का इस्तेमाल करते हुये माँ बहन गी गन्दी गन्दी गाली देना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 389/2024 धारा 137(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 व धारा 3(2)5 क एससी/एसटी एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना में वांछित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू चौधरी थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.03.2025 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त **सतीश कुमार पुत्र पीतम सिंह निवासी गांधी कालोनी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को देवबंद फ्लाई आवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त मे धारा संसोधित कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 319(2)/337/338 बीएनएस मे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मै जनसेवा केन्द्र पर काम करता था वहाँ पर आने वाले कुछ लोगो के मैने आधार कार्ड, मार्कशीट लेकर अपने पास रख ली और बाद में अपने निजी स्वार्थ के लिए उन लोगो के फर्जी हस्ताक्षर कर अपनी शादी के फर्जी कागजात तैयार कराये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सतीश कुमार पुत्र पीतम सिंह नि0 गांधी कालोनी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भड़ाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 458 धर्मपाल थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. का0 2283 राजकुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।